आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमंडल, छपरा।

1. **आँगनबाड़ी अपीलवाद सं0-70/2020**

कुमारी मंजू देवी उर्फ कुमारी मंजू गुप्ता

बनाम्

बिहार राज्य एवं अन्य

2. **आँगनबाड़ी अपीलवाद सं0-80/2021**

संगीता देवी

बनाम

मंजू देवी एवं अन्य

आदेश

01.04.2024

उपर्युक्त दोनों अपीलवाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा क्रमशः C.W.J.C. No. 1736/2020, मंजू देवी उर्फ मंजू कुमारी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य तथा C.W.J.C. No. 2551/2020, संगीता देवी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में पारित आदेश के आलोक में इस स्तर पर लाया गया है।

2. C.W.J.C. No. 1736/2020, मंजू कुमारी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 19.02.2020 को पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नलिखित हैः-

".....The petitioner had adequate, remedy to assail the order of the District Programme officer dated 14.12.2019 under the guidelines dated 27.05.2019.

Counsel for the petitioner being faced with the said provision submits that he would be availing of the remedy before the appropriate authority. The writ application is dismissed with liberty to the petitioner as prayed for."

3. C.W.J.C. No. 2551/2020, संगीता देवी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28.09.2021 को पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नलिखित हैः-

"Accordingly, the present writ petition stands disposed of with liberty to the petitioner to file appropriate appeal before the Divisional Commissioner, Saran Division, Saran at Chapra against the order dated 14.12.2019, passed by the District Programme Officer, Gopalganj and in case such an appeal is filed within a period of four weeks from today, the same shall be considered by the appellate authority on merits, without being impeded by the issue of limitation and shall be disposed of in accordance with law, by a speaking and a reasoned order after hearing all the effected/concerned parties."

4. प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विषय-वस्तु यह है कि आँगनबाड़ी केन्द्र सं0-19, गाम-गौरा टोला दमकी, पो0-गौरा, प्रखंड-कटेया, जिला-गोपालगंज में आँगनबाड़ी सेविका पद पर चयन के बिन्दु पर विवाद के संबंध में संगीता देवी, पति-विनोद गुप्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष C.W.J.C. No.

Scanned with CamScanner

12135/2014 दायर कराया गया था। उक्त वाद की सुनवाई के पश्चात दिनांक 11.03.2019 को पारित आदेश में D.P.O. (I.C.D.S.) को वाद की सुनवाई कर सकारण एवं मुखर आदेश पारित करने का आदेश दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नलिखित हैः-

".....specific claim of the petitioner was that the respondent no.8 has relied upon two different certificates having different details in respect of her age as well as marks obtained by her in the matriculation examination. This is the aspect of the matter which has been raised by the petitioner in her grievance Annexure-3 before the Director, I.C.D.S. This aspect of the matter as per counter affidavit filed by the State has not been examined by the authorities. This Court would therefore, observe that the issue should be looked into by the District Programme Officer, respondent No. 5, the petitioner would be at liberty to submit his detailed claim in respect of the said allegations before the respondent No. 5 within four weeks..... "

उक्त आदेश के अनुपालन में श्रीमती संगीता गुप्ता द्वारा D.P.O. (I.C.D.S.), गोपालगंज के समक्ष वाद सं0-160/19 दायर किया गया, जिसकी सुनवाई के पश्चात D.P.O. (I.C.D.S.), गोपालगंज द्वारा दिनांक 14.12.2019 को आदेश पारित किया गया है, जिसका कार्यकारी अंश निम्नलिखित हैः-

".....ग्राम गौरा चेला दमकि केन्द्र सं0-19 के लिए आँगनबाड़ी सेविका के चयन हेतु वर्ष 2012, 2013, 2014 एवं 2018 में मेधा सूची का निर्माण किया गया। इससे संबंधित आवेदन पत्र के साथ संलग्न मैट्रिक के अंकपत्रों में मंजू देवी का जन्म तिथि एवं अंक में भिन्नता है। वर्ष 2012 के उनके आवेदन पत्र में उसके साथ संलग्न मैट्रिक के प्रमाण पत्र में जन्म तिथि 15.07.1988 एवं अंक 237 है जबकि वर्ष 2013 एवं वर्ष 2014 के आवेदन पत्र में तथा उसके साथ संलग्न प्रमाण-पत्रों में उनका जन्म तिथि 30.02.1990 तथा अंक 483 अंकित है।

इन सभी तथ्यों की पूर्ण जानकारी रहने के बावजूद भी तत्कालीन महिला पर्यवेक्षिका द्वारा मंजू देवी का चयन दिनांक 11.06.2018 को कर दिया गया है। इस प्रकार मंजू देवी, पति-शम्भु गुप्ता, ग्राम-गौरा, प्रखंड-कटेया का आँगनबाड़ी सेविका के पद पर हुए चयन को गलत पाते हुए रद्द किया जाता है तथा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, कटेया को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त विवेचन के आलोक में विपक्षी मंजू देवी के चयन हेतु प्रस्ताव तैयार करने वाले कर्मचारी/पदाधिकारी को चिन्हित कर इसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई हेतु प्रस्ताव दें।

आँगनबाड़ी केन्द्र सं0-19 के लिए रिक्त सेविका के पद पर चयन हेतु विज्ञापन प्रकाशित करने हेतु प्रस्ताव दे एवं पद विज्ञापित होने पर विहित प्रक्रिया से चयन की कार्रवाई करें।'

5. D.P.O. (I.C.D.S.), गोपालगंज के उक्त आदेश से विक्षुब्ध होकर माननीय उच्च न्यायालय पटना के समक्ष दो अलग-अलग C.W.J.C. No. 1736/2020, मंजू देवी द्वारा तथा C.W.J.C. No. 2551/2020, संगीता देवी द्वारा दर्ज कराया गया, जिसमें अलग-अलग पारित आदेश के आलोक में कुमारी मंजू देवी उर्फ मंजू गुप्ता द्वारा श्रीमती संगीता गुप्ता, पति-विनोद कुमार गुप्ता को विपक्षी बनाते

Scanned with CamScanner

हुए इस स्तर पर आँगनबाड़ी अपीलवाद सं0-70/2020 दिनांक 06.10.2020 को दायर किया गया। तत्पश्चात, श्रीमती संगीता देवी द्वारा मंजू देवी उर्फ मंजू कुमारी, पति शंभु कुमार उर्फ शंभु गुप्ता को विपक्षी बनाते हुए इस स्तर पर आँगनबाडी अपील वाद सं0-80/2021, दिनांक 22.10.2021 को दायर किया गया। चूँकि प्रथम वाद के अपीलार्थी द्वितीय वाद में विपक्षी है तथा प्रथम वाद के विपक्षी दूसरे वाद में अपीलार्थी है, ऐसे में दोनों की सुनवाई एक साथ की गयी है।

कुमारी मंजू देवी उर्फ कुमारी मंजू गुप्ता के विद्वान अधिवक्ता - उपस्थित।
संगीता देवी/उनके विद्वान अधिवक्ता - अनुपस्थित।
विद्वान सरकारी अधिवक्ता - उपस्थित।
विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तारपूर्वक सुना।

6. कुमारी मंजू देवी उर्फ मंजू गुप्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपना पक्ष रखते हुए कहा गया कि श्रीमती मंजू देवी उर्फ मंजू गुप्ता वर्ष 2007 से ही प्रश्नगत केन्द्र पर सहायिका के पद पर कार्यरत रही थी। वर्ष 2011 में तत्कालीन सेविका के दूसरी सेवा में चले जाने के कारण उक्त केन्द्र पर सेविका पद हेतु विज्ञापन का प्रकाशन किया गया। यह विज्ञापन वर्ष 2012 के लिए था, जिसमें मंजू देवी एवं संगीता गुप्ता के अलवा दो अन्य अभ्यर्थियों द्वारा भी आवेदन किया गया। उक्त सूची में संगीता गुप्ता के वार्ड से बाहर का निवासी होने तथा अन्य अभ्यथियों के आरक्षण कोटि से बाहर होने के कारण आमसभा द्वारा मंजू गुप्ता का चयन सेविका पद हेतु किया गया परंतु संगीता देवी के परिजनों द्वारा हंगामा किए जाने के कारण आमसभा स्थगित कर दिया गया और सेविका पद पर वर्ष 2012 में चयन नहीं किया जा सका। तत्पश्चात, वर्ष 2013 में पुनः विज्ञापन का प्रकाशन किया गया जिसमें मंजू देवी क्र0 सं0-01 पर थी परंतु संगीता देवी द्वारा पुनः हंगामा किए जाने के कारण उक्त केन्द्र पर सेविका पद पर चयन नहीं किया जा सका। पुनः वर्ष 2014 में उक्त केन्द्र पर सेविका पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन का प्रकाशन किया गया, जिसमें मंजू देवी के अलावा अन्य अभ्यर्थी अनिता देवी और पलक कुमारी द्वारा आवेदन किया गया। उक्त हेतु तैयार मेधा सूची में मंजू देवी क्र0 सं0-01 पर रही है, परंतु हंगामें के कारण चयन नहीं किया जा सका। वर्ष 2017 में समाज कल्याण विभाग, पटना के निदेशानुसार प्रश्नगत केन्द्र सं0-19, वार्ड सं0-06 पर सेविका सहायिका के चयन हेतु अति पिछड़ा वर्ग से आवेदन आमंत्रित करते हुए प्रक्रिया प्रारंभ की गयी। उक्त केन्द्र हेतु मात्र दो अभ्यर्थियों कुमारी मंजू देवी एवं एक अन्य अभ्यर्थी कुमारी सुनैना देवी द्वारा आवेदन दिया गया। जिसके कारण मात्र दो व्यक्तियों के तैयार मेधा सूची में मंजू देवी के वरीयता सूची के क्र0 सं0 01 पर रहने के कारण उनका चयन किया गया।

7. विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे बताया गया कि मंजू देवी वर्ष 2012 में मैट्रिक परीक्षा उर्त्तीण की थी जिसमें उनका प्राप्तांक 45.5% था, इसलिए उनके द्वारा सहायिका पद से छुट्टी लेकर नियमित छात्रा के रूप में वर्ष 2013 में मैट्रिक की परीक्षा दी थी, जिसमें उनका प्राप्तांक 80% था और सहायिका के रूप में कार्य अनुभव रहने कारण 5% बोनस के साथ मेधा सूची मं प्राप्तांक 85% हो

Scanned with CamScanner

गया। उनके द्वारा दावा किया गया कि जन्म तिथि में हेर-फेर से कोई लाभ या हानि नहीं है, इसलिए जन्म तिथि में भिन्नता की कोई जरूरत अपीलार्थी मंजू देवी को नहीं थी और न ही मंजू देवी द्वारा जन्म तिथि में हेर-फेर ही किया गया है। उनके द्वारा आरोप लगाया गया कि संगीता गुप्ता द्वारा ही उनके जन्म तिथि में फर्जीवाड़ा कराते हुए गलत जन्म तिथि प्रस्तुत किया गया है।

8. उनके द्वारा बताया गया कि आँगनबाड़ी अपीलवाद सं0-80/2021 में श्री संगीता गुप्ता द्वारा वर्ष 2012 में बने मेधा सूची के आधार पर अपने चयन का दावा किया गया है, जो आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका, 2011 के आलोक में वर्ष 2012 में किया जाना था, जिसके कंडिका 8.14 में पैनल की मान्यता तीन वर्ष निर्धारित की गयी थी। इसी नियमावली के आलोक में केन्द्र सं0-19 वार्ड सं0-06 के लिए नए मेधा सूची वर्ष 2018 में तैयार किया गया जिसके आधार पर मंजू देवी का चयन किया गया है। ऐसी स्थिति जिसमें वर्ष 2012 की मेधा सूची के आधार पर संगीता गुप्ता के चयन का प्रश्न ही नहीं आता है।

उक्त के आधार पर मंजू देवी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अनुरोध किया गया कि आँगनबाड़ी अपीलवाद सं0-70/20 स्वीकृत होने योग्य है जबकि आँगनबाड़ी अपील सं0-80/2021 खारिज होने योग्य है।

9. श्रीमती संगीता गुप्ता, पति-विनोद गुप्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपना पक्ष रखते हुए बताया गया कि प्रश्नगत केन्द्र पर वर्ष 2011 में सेविका पद रिक्त होने के पश्चात वार्ड सं0-03 एवं वार्ड सं0-06 के पोषक क्षेत्र हेतु केन्द्र सं0-19 पर सेविका पद हेतु चयन की प्रक्रिया प्रारंभ की गयी, जिसमें कुल छः अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस हेतु तैयार मेधा सूची के क्र0 सं0 01 पर रही बबीता देवी, पति-दिनेश पटेल एवं क्र0 सं0-02 पर रही सुमन देवी, पति-शशिकान्त पाण्डेय अर्हता पूर्ण नहीं करने के कारण चयन प्रक्रिया से बाहर हो गए। क्र0 सं0-03 पर रही संगीता गुप्ता वांछित अर्हता पूर्ण करने के कारण सुयोग्य अभ्यर्थी रही थी परंतु संबंधित प्राधिकार द्वारा उनका चयन नहीं किया गया है। इसके 16 माह बाद उक्त केन्द्र पर दिनांक 27.06.2013 को सेविका पद हेतु विज्ञापन का प्रकाशन किया गया, जिसमें कुल 07 अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें मंजू देवी देवी क्र0 सं0-01 पर तथा संगीता गुप्ता क्र0 सं0-07 पर रही है।

उनके द्वारा आगे कहा गया कि वर्ष 2011 के विज्ञापन हेतु मंजू देवी द्वारा प्रस्तुत कागजात में अपना मैट्रिक अंक प्रतिशत 45.5% तथा जन्म तिथि दिनांक 15.07.1988 अंकित किया गया है। जबकि वर्ष 2013 के विज्ञापन में मैट्रिक अंक प्रतिशत 85.5% तथा जन्म तिथि 30.02.1990 दर्शाया गया है। उनके द्वारा कहा गया कि मंजू देवी द्वारा नियमित छात्रा के रूप में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्णता का दावा संदेहास्पद है क्योंकि वे वर्ष 2007 से ही उक्त केन्द्र पर सहायिका के रूप में कार्यरत रही है तथा नियमित छात्रा के रूप में मैट्रिक परीक्षा में भाग लेने हेतु उनके द्वारा विभाग से कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गयी है। श्रीमती मंजू देवी उक्त केन्द्र पर आँगनबाड़ी सहायिका के रूप में

Scanned with CamScanner

लगातार कार्यरत रही है तथा उनके द्वारा कथित अवकाश का मानदेय भी प्राप्त किए जाने का साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध है। सच्चाई यह है कि मामला प्रकाश में आने के बाद उनके द्वारा छुट्टी का आवेदन दिया गया तथा मानदेय की राशि वापस की गयी है।

10. विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे कहा गया कि माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष मामला लंबित रहने के तथा दिनांक 27.06.2013 को बनाए गए मेधा सूची को खारिज किए बिना ही उक्त केन्द्र पर सेविका पद हेतु विज्ञापन का प्रकाशन गलत विवरण के साथ किया गया है, जिसमें केन्द्र सं0-19 को वार्ड सं0-03 के स्थान पर वार्ड सं0-06 में दर्शाया गया है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा अनुरोध किया गया कि D.P.O. (I.C.D.S.), गोपालगंज द्वारा अपने आदेश दिनांक 14.12.2019 में पूर्व में बनाए गए मेधा सूची को खारिज किए बिना ही नए सिरे से सेविका के चयन हेतु आदेश दिया गया है, जो गलत है।

उक्त के आधार पर श्रीमती संगीता देवी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि श्रीमती संगीता देवी, पति-विनोद गुप्ता का चयन प्रश्नगत केन्द्र पर सेविका के रूप में किया जाए।

11. विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा वाद के बिन्दुओं पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि ग्राम पंचायत-गौरा, गौरा टोला-दमकी, केन्द्र सं0-19, वार्ड सं0-06 हेतु आँगनबाड़ी सेविका पद पर चयन वाद का मुख्य बिन्दु है। उनके द्वारा बताया गया कि वर्ष 2011 में तत्कालीन सेविका के दूसरी सेवा में चले जाने के कारण उक्त केन्द्र पर सेविका का पद रिक्त हो गया। उक्त केन्द्र पर सेविका पद पर चयन हेतु 2012, वर्ष 2013 एवं वर्ष 2014 में विज्ञापन का प्रकाशन किया गया परंतु मैपिंग संबंधी विवाद के कारण चयन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की जा सकी। इस क्रम में वर्ष 2017 में सेविका/सहायिका के चयन हेतु प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में उक्त केन्द्र हेतु मात्र दो अभ्यर्थी कुमारी मंजू देवी, पति-शम्भु साह एवं कुमारी सुनैना देवी, पति-राजेश साह द्वारा आवेदन किया गया। जिसमें मेधा सूची क्र0 सं0 01 पर रहने के कारण कुमारी मंजू देवी का चयन सेविका पद पर किया गया। साथ ही उपस्थित व्यक्तियों को इस तथ्य से अवगत कराया गया कि उक्त आँगनबाड़ी पर संगीता कुमारी, पति-श्री विनोद कुमार गुप्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में वाद दायर किया गया है, जिसमें भविष्य में कोई निर्णय प्राप्त होता है तो सेविका के चयन के संबंध में लिया गया निर्णय प्रभावित हो सकता है। यह भी बताया गया कि संगीता देवी, पति-बिनोद कुमार गुप्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दायर C.W.J.C. No. 12135/2014 में दिनांक 11.03.2019 को आदेश पारित किया गया जिसके अनुपालन में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, (आई0सी0डी0एस0) गोपालगंज द्वारा आँगनबाड़ी केन्द्र सं0-160/2019 की सुनवाई कर दिनांक 14.12.2019 को आदेश पारित किया गया है, जिसमें मंजू देवी, पति-शम्भू गुप्ता द्वारा सेविका पद हेतु प्रस्तुत विभिन्न आवेदनों में मैट्रिक का अलग-अलग अंक पत्र एवं जन्म तिथि रहने के कारण उनका चयन रद्द कर दिया गया है। उक्त आदेश के विरूद्ध कुमारी मंजू देवी उर्फ मंजू गुप्ता एवं संगीता देवी द्वारा अलग-अलग रिट याचिका माननीय उच्च

Scanned with CamScanner

न्यायालय, पटना के समक्ष दायर किया गया था। उक्त दोनों वादों में अलग-अलग पारित आदेश के अनुपालन में आँगनबाड़ी वाद सं0-70/20 एवं वाद सं0-80/21 की सुनवाई की गयी है।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि अभिलेख के अवलोकन में पाया गया है कि मंजू देवी, पति-शंभू कुमार उर्फ शंभू गुप्ता का वर्ष 2012 हेतु तैयार मेधा सूची में जन्म तिथि दिनांक 15.07.1988 तथा मैट्रिक प्राप्तांक-237(39%), वर्ष 2013 हेतु तैयार मेधा सूची में जन्म तिथि-30.02.1990 तथा मैट्रिक प्राप्तांक-483(80.5%) एवं वर्ष 2014 हेतु तैयार मेधा सूची में जन्म तिथि15.07.1988 एवं मैट्रिक प्राप्तांक-483 (80.5%) अंकित है। अभिलेख पर उपलब्ध Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh, Allahabad से वर्ष 2013 के मैट्रिक प्रमाण पत्र की छायाप्रति में मंजू, पिता-रामधारी गुप्ता का जन्म तिथि 06.04.1990 अंकित है। माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से निर्गत हाई स्कूल परीक्षा-2013 में कुमारी मंजू, पिता-रामधारी गुप्ता का जन्म तिथि 15.07.1988 अंकित पाया गया है।

इस क्रम में श्रीमती मंजू देवी द्वारा अवकाश लेकर दुबारा मैट्रिक परीक्षा दिए जाने के संबंध में बताया गया कि अभिलेख पर उपलब्ध बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, कटेया, गोपालगंज के पत्रांक-48, दिनांक 04.02.2015 के अवलोकन में श्रीमती मंजू देवी के दिनांक 01.07.12 से दिनांक 30.04.2013 तक अवकाश में रहने की पुष्टि की गयी है। साथ ही इस अवधि का मानदेय लिपिकीय भूलवश उनके खाते में भेजे जाने का उल्लेख करते हुए मानदेय वापसी का आदेश दिया गया, जिसके अनुपालन में श्रीमती मंजू देवी (तत्कालीन सहायिका) द्वारा मानेदय की राशि वापस किया गया है। यह भी बताया गया है कि श्रीमती मंजू गुप्ता के अवकाश के अवधि में ही दिनांक 16.03.2013 को राज्य स्वास्थ्य समिति की टीम द्वारा कटेया प्रखंड में सत्र के दौरान आँगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में श्रीमती मंजू देवी द्वारा कार्य निष्पादन किए जाने का साक्ष्य अभिलेख पर संलग्न है।

12. विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा यह भी बताया गया कि जिला प्रोग्राम शाखा, गोपालगंज द्वारा सेविका-सहायिका चयन मार्गदर्शिका, 2016 के आलोक में पंचायत-गौरा, आँगनबाड़ी केन्द्र गौरा, वार्ड सं0-06, केन्द्र सं0-19 पर सेविका पद हेतु चयन कार्यक्रम की विस्तृत सूचना का प्रकाशन दिनांक 12.11.2017 को किया गया। जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित है कि *"....जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में आवेदन दे रखा है, वे भी पुनः नया आवेदन देगीं।.....केन्द्र के सेवा क्षेत्र के बाहर के अभ्यर्थी कृपया आवेदन नहीं देगीं।"* परंतु अभिलेख पर उपलब्ध दिनांक 11.06.2018 के आमसभा पंजी के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि दिनांक 12.11.2017 को प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में श्रीमती संगीता गुप्ता द्वारा आवेदन नहीं किया गया हैं। अपने याचिका में संगीता गुप्ता द्वारा अपने वार्ड के संबंध में कोई सूचना अंकित न करते हुए केन्द्र सं0-19 को वार्ड सं0-03 के अन्तर्गत अंकित किया गया। जबकि समाहरणालय, गोपालगंज द्वारा आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका के रिक्ति एवं चयन कार्यक्रम का विस्तृत सूचना का प्रकाशन में स्पष्ट रूप से क्र0 सं0-42 पर अंकित पंचायत-गौरा, केन्द्र गौरा, केन्द्र सं0-19 को वार्ड सं0-06 के अन्तर्गत दर्शाया गया है।

Scanned with CamScanner

संगीता गुप्ता द्वारा उठाए गए अन्य बिन्दु के संबंध में विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि चूँकि वर्ष 2012, वर्ष 2013 एवं वर्ष 2014 में प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में प्रश्नगत केन्द्र पर सेविका का चयन नहीं किया जा सका। इस क्रम में आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका, 2016 के आलोक में वर्ष 2017 में विज्ञापन का प्रकाशन किया गया था, जिसमें श्रीमती संगीता देवी द्वारा आवेदन नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में उनकी अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तारपूर्वक सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों एवं D.P.O. (I.C.D.S.), गोपालगंज द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश का अवलोकन में निम्नांकित बिन्दु प्रकाश में आते है:-

(1) वर्ष 2012, वर्ष 2013 एवं 2014 में पंचायत-गौरा, गौरा टेला दमकी के प्रश्नगत आँगनबाड़ी केन्द्र सं0-19 पर सेविका चयन की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकी थी। जिसके क्रम में वर्ष 2017 में उक्त केन्द्र पर सेविका पद हेतु स्पष्ट शर्तो के साथ विज्ञापन का प्रकाशन किया गया।

(2) उक्त विज्ञापन के आलोक में दो अभ्यर्थी कुमारी मंजू देवी, पति-शम्भू साह एवं कुमारी सुनैना देवी, पति-राजेश साह द्वारा आवेदन किया गया था। इस हेतु तैयार मेधा सूची में क्र0 सं0-01 पर रहने के आधार पर कुमारी मंजू देवी का चयन सेविका पद हेतु किया गया।

(3) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा C.W.J.C. No. 12135/2014, में दिनांक 11.03.2019 को पारित आदेश के अनुपालन में D.P.O. (I.C.D.S.), गोपालगंज द्वारा वाद सं0-160/19 की सुनवाई की गयी जिसमें मंजू देवी द्वारा प्रस्तुत भिन्न-भिन्न आवेदनों में भिन्न-भिन्न जन्म तिथि अंकित पाए जाने के आधार पर उनके चयन को निरस्त किया गया है।

अभिलेख के अवलोकन में कुमारी मंजू देवी, पति-शम्भू साह द्वारा भिन्न-भिन्न जन्म तिथि अंकित किए जाने का साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध है।

श्रीमती मंजू देवी द्वारा वर्षवार प्रस्तुत प्रमाण पत्रों के प्रथम दृष्ट्या अवलोकन में अंक और जन्म तिथि में भिन्नता से उनके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्रों की वैधानिकता भी संदिग्ध हो जाती है। अभिलेख के अवलोकन में श्रीमती मंजू देवी द्वारा वर्षवार प्रस्तुत विभिन्न प्रमाण-पत्रों में उनका अंक पत्र एवं प्राप्तांक/प्रतिशत की स्थिति निम्नांकित है:-

वर्ष	अंक/प्रतिशत (मैट्रिक)	जन्म तिथि
2012	237/39%	15.07.1988
2013	483/80.5%	30.02.1990
2014	483/80.5%	15.07.1988

Scanned with CamScanner

इसके अलावा Board of High School and Intermediate Education Uttar Pradesh, Allahabad से निर्गत वर्ष 2013 के मैट्रिक प्रमाण पत्र में उनकी जन्म तिथि 06.04.1990 तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से निर्गत हाई स्कूल परीक्षा-2013 के अंक पत्र -सह- प्रमाण पत्र में जन्म तिथि 15.07.1988 अंकित पाया गया है, जिसमें संबंधित साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध है। आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका के चयन हेतु **मार्गदर्शिका, 2016 के कंडिका-11** के प्रावधानों के आलोक में सेविका के चयनोपरांत उनके शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों का सत्यापन कराया जाना है। ऐसे में श्रीमती मंजू गुप्ता द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र का सत्यापन संबंधित संस्थान से नहीं कराया जा सका है।

श्रीमती मंजू देवी के इस कृत्य से आँगनबाड़ी सेविका के चयन की संपूर्ण प्रक्रिया ही दूषित हो जाती है जिससे आँगनबाड़ी व्यवस्था की विश्वसनीयता एवं प्रशासन के सुशासन का संकल्प प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है।

(4) श्रीमती मंजू देवी द्वारा 10 माह का मानदेय अपने खाते में प्राप्त किए जाने के विषय में यह कहा गया कि लिपीकीय भूलवश उनके खाते में मानदेय की राशि का अंतरण कर दिया गया था, जिसे उनके द्वारा वापस कर दिया गया है। यह तर्क स्वीकार्य योग्य प्रतीत नहीं होता है। D.P.O. (I.C.D.S), गोपालगंज को निदेश है कि श्रीमती मंजू देवी के खाते में मानदेय राशि के भुगतान हेतु जिम्मेदार कर्मचारी के विरूद्ध कार्रवाई सुनिचित करें। मानदेय की राशि के लौटाए जाने से इस तथ्य की पुष्टि नहीं होती है कि श्रीमती मंजू देवी तत्समय अवकाश पर थी। वस्तुतः अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे इस बात की पुष्टि हो सके कि July 2012 महीने का मानदेय August 2012 में प्राप्त होने पर उक्त की वापसी हेतु श्रीमती मंजू देवी द्वारा स्थानीय प्राधिकार/वरीय पदाधिकारी को सूचित किया गया हो। सच्चाई यह है कि श्रीमती मंजू देवी द्वारा उल्लेखित अवकाश की अवधि के दौरान दिनांक 16.03.2013 को राज्य स्वास्थ्य समिति की टीम के साथ उनके काम करने का साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध है।

उपर्युक्त वर्णित कारणों से कुमारी मंजू देवी उर्फ मंजू गुप्ता द्वारा अपने अभ्यर्थिता का दावा किया जाना वैधानिक रूप से मान्य नहीं है। ऐसे में सेविका पद हेतु उनका दावा अस्वीकृत किया जाता है।

5. श्रीमती संगीता देवी, पति-विनोद गुप्ता के दावा पर विचार के क्रम में पाया गया कि जिला प्रोग्राम शाखा, गोपालगंज द्वारा सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका, 2016 के आलोक में सेविका पद पर चयन हेतु शर्तो से संबंधित विस्तृत सूचना का प्रकाशन दिनांक 12.11.2017 को किया गया, जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित है कि *".....जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में आवेदन दे रखा है, वे भी पुनः नया आवेदन देगीं।.....केन्द्र के सेवा क्षेत्र के बाहर के अभ्यर्थी कृपया आवेदन नहीं देगीं।"* परंतु दिनांक 12.11.2017 को प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में श्रीमती संगीता देवी द्वारा आवेदन नहीं दिया गया है ऐसे में उनके आवेदन पर विचार किया जाना नियमानुकूल और तर्क संगत नहीं है।

Scanned with CamScanner

उपर्युक्त वर्णित कारणों से प्रश्नगत आँगनबाड़ी केन्द्र पर सेविका पद पर चयन हेतु कुमारी मंजू देवी उर्फ मंजू गुप्ता, पति–शम्भू गुप्ता तथा श्रीमती संगीता देवी, पति विनोद गुप्ता के दावा को खारिज किया जाता है। D.P.O. (I.C.D.S.), गोपालगंज को निदेश है कि प्रश्नगत आँगनबाड़ी केन्द्र पर रिक्त सेविका पद पर विभागीय मार्गदर्शिका के आलोक में वांछित प्रक्रियाओं का समुचित पालन करते हुए सही एवं सुयोग्य अभ्यर्थी के चयन हेतु नए सिरे से नियमानुसार प्रक्रिया प्रारंभ करें।

उपर्युक्त निदेश के साथ प्रस्तुत वाद का निस्तार किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त

सारण प्रमंडल, छपरा।

आयुक्त

सारण प्रमंडल, छपरा।

Scanned with CamScanner